24

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 28 / 2025

दायर दिनांक–21.01.2025

1. श्रवण कुमार दत्तक पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवी देवीपुरा तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री संदीप सैनी
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणार्थ

–:: निर्णय ::–

दिनांक–28.02.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 515 खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.2600 है0 तथा भूमि खाता संख्या 514 की भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.3200 है0, खसरा नम्बर 1418 रकबा 1.1400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.8400 है0 स्थित है। ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 476 की भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 है0 स्थित है। उक्त भूमि को विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1439, 1022, 1414, 1416, 1418 का एकमात्र खातेदार श्योपाल है तथा भूमि खसरा नम्बर 1039, 1436, 1437 की भूमि में श्योपाल के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। श्योपाल के कोई पुत्र/पुत्री संतान नही थी। इसलिए श्योपाल व उसकी पत्नी किशनी देवी ने मिलकर श्योपाल ने अपने सगे भाई के लड़के को भाई व उसकी पत्नी की सहमति से बचपन मे गोद ले लिया। गोद के समय वादी की उम्र 6 वर्ष थी। वादी को गोद लिये करीबन 53 वर्ष बित चुके है। जब से लेकर श्योपाल व उसकी पत्नी की मृत्यु तक वादी दततक माता पिता के साथ ही रहा है। बतौर पुत्रवत कार्य किये है। वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड मे वादी के पिता का नाम श्योपाल ही दर्ज है। श्योपाल व उसकी पत्नी किशनी की मृत्यु तक व मृत्यु के समय सम्पूर्ण क्रिया क्रम बतौर पुत्र के रूप मे वादी ने ही किये है। इस प्रकार वादी श्योपाल की चल व अचल सम्पति का एकमात्र उत्तराधिकारी है। इसलिए वादी को श्योपाल के स्थान पर श्योपाल के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 515 खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.2600 है0 तथा भूमि खाता संख्या 514 की भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.3200 है0, खसरा नम्बर 1418 रकबा 1.1400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.8400 है0 भूमि के संपूर्ण हिस्से का तथा ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित [illegible] संख्या 476 की भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.4[illegible]0, [illegible] नम्बर 1437 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 है0 भूमि मे वादी का 1/6 हिस्से [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी सम्यक रूप से होने [illegible] बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजर नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु श्रवण कुमार, ताराचंद, ज्यानकी व भागूराम के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी खाता संख्या 515, नकल जमाबंदी खाता संख्या 514, नकल जमाबंदी खाता संख्या 476, फॉटो कॉपी वोटर कार्ड, फॉटो कॉपी

ए.सी.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

25

आधार कार्ड, फोटो कॉपी राशन कार्ड, फोटो कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र–श्योपाल, फोटो कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र किशनी देवी, फोटो कॉपी श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि श्योपाल पुत्र भूराराम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा भूमि है। श्योपाल पुत्र भूराराम तथा उसकी पत्नी किशन देवी नाऔलाद फौत हो चुके है परन्तु उन्होंने अपने जीवनकाल में वादी/श्रवण कुमार को गोद ले लिया था। वादी/श्रवण कुमार द्वारा पेश दस्तावेजात (राशन कार्ड, आधार कार्ड व सपथ पत्रों) से स्पष्ट है श्योपाल पुत्र भूराराम का विधिक वारिसान दत्तक पूत्र के रूप में वादी/श्रवण कुमार है। अतः श्योपाल पुत्र भूराराम की खातेदारी की भूमि का खातेदार वादी (श्रवण कुमार) को घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 515 खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.2600 है0 तथा भूमि खाता संख्या 514 की भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.3200 है0, खसरा नम्बर 1418 रकबा 1.1400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.8400 है0 भूमि के संपूर्ण हिस्से का तथा ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 476 की भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 है0 भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (कार्ट–टेक) नवलगढ़
एस.डी.एम., नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested

26

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 28 / 2025 **(श्रवण कुमार बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 515 खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.2600 है0 तथा भूमि खाता संख्या 514 की भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.3200 है0, खसरा नम्बर 1418 रकबा 1.1400 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.8400 है0 भूमि के संपूर्ण हिस्से का तथा ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 476 की भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1436 रकबा 0.4000 है0, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.1300 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5600 है0 भूमि में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.02.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर
ए. सी. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:26:42 IST
Reason: SelfAttested